समाहरणालय बेगूसराय

(जिला आपूर्ति शाखा)

विज्ञापन सं0–01 / 2015

जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति चयन हेतु आम सूचना

''सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001, संशोधित 2004, 2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में यथा संशोधित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश 2014 (विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–61, दिनांक–05.01.2015 एवं समय समय पर निर्गत अन्य प्रभावी विभागीय पत्र) के आलोक में बेगूसराय जिला अंतर्गत सभी पांचों अनुमंडल के प्रखंडवार / शहरी क्षेत्रवार जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु सुयोग्य व्यक्तियों / संस्थाओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। विदित हो कि सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5474 / खा0 दिनांक–14.07. 2015 द्वारा संसूचित है कि तांती (ततवा) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाया गया है एवं दांगी तेली इत्यादि जाति को पिछड़े वर्ग की अनुसूची–II से विलोपित कर अनुसूची–I में षामिल किया गया है।

अतः ऐसे मामलो में स्टेटस परिवर्तित जातियों को उनके परिवर्तित स्टेटस के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने में मान्यता दिया जाना है।

प्रखंडवार / पंचायतवार (ग्राम सहित) तथा निकायवार / वार्डवार जन वितरण प्रणाली दुकानों का आरक्षणवार रिक्तियां सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय जिला के कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक–28.08.2015 तक कार्यालय अवधि में संबंधित अनुमंडल कार्यालय में गठित प्रकोष्ठ में स्वीकार किया जाएगा। लिफाफा के उपर ''**विज्ञापन संख्या एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र, संबंधित स्थल (प्रखंड / पंचायत तथा निकाय / वार्ड का नाम) एवं कोटि**'' लिखा होना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अनुमंडलवार / कोटिवार रिक्तियां निम्न प्रकार हैः–

अनुमंडलवार / कोटिवार रिक्ति

क्रं0	अनुमंडल का नाम	कुल रिक्ति	सामान्य	अनु0जा0	अनु0ज0जा0	अ0पि0व0	पि0व0	पि0व0म0
1	बेगूसराय	162	42	23	0	45	37	15
2	तेघड़ा	105	49	0	2	32	15	7
3	मंझौल	45	22	1	2	16	1	3
4	बखरी	46	23	3	0	18	1	1
5	बलिया	54	27	2	0	20	5	0
कुल		**412**	**163**	**29**	**4**	**131**	**59**	**26**

रिक्ति के विरूद्ध दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अर्हताएं एवं शर्त निम्न प्रकार हैः–

1. संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य को जन वितरण प्रणाली की दूकान पूर्व में आवंटित नहीं हो।
2. जनप्रतिनिधि नहीं हो।
3. आटा चक्की का मालिक नहीं हो।
4. अव्यस्क, पागल, विकृत चित, दिवालिया आदि नहीं हो।
5. किसी सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित नहीं हो।
6. ठीक से लिखने–पढ़ने, जोड़ने–घटाने (हिसाब) आदि का ज्ञान हो।
7. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अंतिम रूप से दोषी नहीं हो।
8. समय–समय पर सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 यथा संशोधित नियम का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र भरकर अपने संबंधित अनुमंडल कार्यालय में जमा करेंगें। विहित प्रपत्र के साथ निम्नलिखित कागजात जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

1. आवासीय प्रमाण पत्र।
2. आरक्षण के दावा रखने वाले अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण–पत्र।
3. आय प्रमाण पत्र।
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र।
5. अनियोजन प्रमाण–पत्र।
6. व्यापार स्थल का विवरणी। (खाता संख्या–खेसरा सं0–चौहद्दी–मकान सं0–मौजा–)
7. विकलांग श्रेणी के लाभ हेतु विकलांगता प्रमाण–पत्र।

विस्तृत विवरणी (प्रखंडवार/निकायवार/पंचायतवार/वार्डवार एवं कोटिवार रिक्ति हेतु) अपने संबंधित अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक अर्थात दिनांक–28.08.2015 के संध्या 05:00 बजे तक अपना आवेदन वर्णित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति के साथ संबंधित अनुमंडल कार्यालय में जमा करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अनुमंडलवार रिक्ति जिला वेबसाईट www.begusarai.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय।